संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल– 3/2019/783 भोपाल दिनांक 27/06/2019

स्थायी परिपत्र

विषय – पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग (शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन एवं जबलपुर), एम.एस.सी. नर्सिंग एवं पी.एच.डी. में अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधीन सेवारत् नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों के लिये परिपत्र ।

1. **प्रस्तावना :–**

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में नर्सिंग संवर्ग के स्वीकृत विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी पत्रोपाधि है। जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी पत्रोपाधि योग्यताधारी नर्सिंग कार्मिक द्वारा पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग उपाधि का उच्च अध्ययन प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग योग्यताधारी नर्सिंग कार्मिक द्वारा एम.एस.सी. नर्सिंग एवं एम.एस.सी. नर्सिंग योग्यताधारी नर्सिंग कार्मिक द्वारा पी.एच.डी. का उच्च अध्ययन प्राप्त किया जाता हैं।

नर्सिंग कार्मिक को उच्च अध्ययन प्रदान करने का उद्देश्य उनकी दक्षता बढ़ाना एवं विभाग को डिग्रीधारी नर्सेस उपलब्ध कराना हैं, जिससे ये कार्मिक चिकित्सा संस्थानों में अपनी गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान कर सकें। इस प्रकार उच्च अध्ययन केवल पदोन्नति से संबंधित न होकर नर्सिंग कार्मिक की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना भी है।

अतः उच्च शिक्षा के पश्चात् नर्सिंग कार्मिक की उपयोगिता विभाग के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में संकाय के रूप में भी अत्यधिक है।

2. **सामान्य अर्हता/निरर्हता :–**

(i) केवल मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत नियमित नर्सिंग संवर्ग के कार्मिक जिनकी परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो।

(ii) एम.एस.सी. नर्सिंग हेतु पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के उपरांत न्यूनतम 03 वर्ष की निरंतर शासकीय सेवा अवधि पूर्ण की गई हो।

(iii) पी.एच.डी. अध्ययन हेतु एम.एस.सी. नर्सिंग के उपरान्त तीन वर्ष की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण की गई हो।

(iv) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्व आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा विभागीय जॉच लंबित है, अध्ययन अनुमति के लिये अनर्ह होगा।

(v) संस्थायें जैसे पत्राचार, भोज विश्वविद्यालय, इग्नू, ओपन आदि से नर्सिंग डिप्लोमा/डिग्री भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली से मान्य न होने के कारण इन संस्थाओं से नर्सिंग डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त आवेदक अपात्र होंगे।

3. **शैक्षणिक अर्हताः—** कार्मिक द्वारा शासकीय सेवा में आने के उपरांत नर्सिंग से संबंधित समस्त शैक्षणिक अर्हता विभागीय अनुमति पश्चात् ही पूर्ण की गई हो :—

क्र.	कोर्स का नाम (डिग्री)	शैक्षणिक अर्हता
(i)	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली/मध्यप्रदेश उपचर्या रजिस्ट्रीकरण परिषद् भोपाल से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानो से जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी पत्रोपाधि उत्तीर्ण, एवं मध्यप्रदेश उपचर्या रजिस्ट्रीकरण परिषद् भोपाल में जीवित पंजीयन अनिवार्य।
(ii)	एम.एस.सी. नर्सिंग	भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली/ मध्यप्रदेश उपचर्या रजिस्ट्रीकरण परिषद् भोपाल से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानो से बी.एस.सी.नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग में उत्तीर्ण, एवं मध्यप्रदेश उपचर्या रजिस्ट्रीकरण परिषद् भोपाल में जीवित पंजीयन अनिवार्य।
(iii)	पी.एच.डी	कार्मिक द्वारा एम.एस.सी. नर्सिंग कोर्स विभागीय अनुमति के पश्चात नियमित रूप से किया गया हो।

4. **आयुसीमाः—**

क्र.	कोर्स का नाम (डिग्री)	अधिकतम आयु सीमा (प्रत्येक वर्ष की 31जुलाई तक)
(i)	पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग	40 वर्ष
(ii)	एम.एस.सी. नर्सिंग	45 वर्ष
(iii)	पी.एच.डी	50 वर्ष

स्पष्टीकरणः— आयु—सीमा की गणना करते समय हाई स्कूल प्रमाण—पत्र (10वीं) या इसकी अंक सूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जावेगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

5. **अध्ययन अवकाश पात्रता :—**

(i) म.प्र शासन के नियमानुसार पूर्ण सेवाकाल में एक बार ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।

(ii) अध्ययन अवकाश पॉच वर्ष की शासकीय सेवा अवधी के उपरांत ही स्वीकृत किया जावेगा।

(iii) अगर कार्मिक द्वारा अध्ययन अवकाश का उपभोग कर लिया गया है तो अन्य अध्ययन की अनुमति हेतु आवेदन करते समय कार्मिक के अवकाश लेखा में उपलब्ध अवकाश ही स्वीकृत किये जावेगें, शेष अवधि अवैतनिक होगी।

6. **चयन प्रकियाः—** चयन के लिये आवेदन करते समय निर्धारित प्रारूप (**परिशिष्ट—'अ'**) में आवेदन करेंगे।

(अ) **पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंगः—**

(i) मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन एवं जबलपुर में पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स कराया जाता है।

(ii) स्वीकृत सीटों पर इच्छुक उम्मीदवार द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र निर्धारित तिथि में प्रस्तुत करने पर प्रत्येक चिकित्सा संस्था से प्राप्त आवेदनों में वरिष्ठता के आधार पर एक आवेदक का कोर्स हेतु चयन किया जावेगा।

(ब) एम.एस.सी. नर्सिंगः–

(i) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इन्दौर एवं प्रदेश के अन्य शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय या ऐम्स भोपाल के नर्सिंग महाविद्यालय से विभागीय एम एस सी नर्सिंग करने पर ट्यूशन फीस शासन स्तर से देय होगा।

(ii) परीक्षा में शामिल होने हेतु विभाग मे कार्यरत नर्सिंग संवर्ग के कार्मिक जो एम.एस. सी नर्सिंग पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में नियत समयावधि में आवेदन कर परीक्षा मे शामिल हो सकते है, परीक्षा मे शामिल होने हेतु संचालनालय स्तर से अनुमति की आवश्यकता नही है। **परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत चयन होने की स्थिति में मैरिट के आधार पर विभाग से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रवेश लिया जा सकेगा।**

(iii) अशासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों से एम.एस.सी. नर्सिंग हेतु राज्य स्तर पर प्राप्त आवेदन में प्रत्येक चिकित्सा संस्था से वरिष्ठता के आधार पर एक आवेदक को स्वयं के व्यय पर कोर्स हेतु अनुमति दी जायेगी।

(स) पी.एच.डी. अध्ययनः–

पी.एच.डी. करने हेतु चयनित विषय का विभाग की नर्सिंग सेवाओं में उपयोगिता होना आवश्यक हो।

7. **प्रवेश रद्द करना :–**

यदि अपराधिक प्रकरण/लोकायुक्त प्रकरण/विभागीय जॉच/न्यायांलयीन प्रकरण दर्ज हुआ हो तथा यह पाया गया कि कोई उम्मीद्वार संस्था में झूठी/ गलत सूचना देकर अथवा सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पाने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् प्रमाण–पत्र फर्जी पाये गयें एवं चूकवश प्रवेश मिल गया हैं तो उम्मीद्वार को दी गई अनुमति तुरंत बिना सूचना के रद्द की जावेगी। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद में स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

8. **कोर्स के उपरांत न्यूनतम 05 वर्ष तक शासकीय सेवा प्रदान करने हेतु अनुबंध अनिवार्यः–**

विभागीय पोस्ट बेसिक बी.एस.सी.नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग/पी.एच.डी. कोर्स सफलता पूर्वक पूर्ण कर उत्तीर्ण होने के पश्चात् लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन के अधीन न्यूनतम 05 वर्ष तक कार्य की सहमति के लिये राशि रू. 5.00 लाख का अनुबंध पत्र अध्ययन के लिये प्रस्थान करने के पूर्व निष्पादित कर संबंधित नियत्रंणकर्ता अधिकारी के माध्यम से अनुबंध की सत्यापित छायाप्रति राज्य स्तर पर प्रेषित की जाना अनिवार्य होगा।

22/06

(नीतेश व्यास)
आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 9/नर्सिंग/सेल– 3/2019/784 भोपाल दिनांक 27/06/2019

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।

3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
4. संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. संचालक गैस राहत एवं पुर्नवास, मध्यप्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
8. अधीक्षक, जे.एस.आर. इटारसी, सिविल अस्पताल बैरागढ़, के.एन.के. अस्पताल भोपाल, एम.आर.टी.बी.राउ इंदौर, कैंसर हॉस्पिटल इंदौर/ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
9. समस्त प्राचार्य शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन, जबलपुर/जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र/ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र मध्यप्रदेश।
10. प्रभारी एम. आई. एस. स्थानीय कार्यालय भोपाल।

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश, शासन

परिशिष्ट–अ

आवेदन पत्र का प्रारूप
पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग /पी.एच.डी पाठ्यक्रम हेतु

स्वयं का पास पोर्ट साईज फोटो चस्पा करें

1 आवेदिका का नाम : ....
2 पिता/पति का नाम : ....
3 पत्राचार हेतु वर्तमान पता : ....
4 वर्तमान पदस्थापना स्थल/संस्था : ....
5 प्रथम नियमित नियुक्ति दिनांक एवं पदनाम (संविदा पर कार्यरत अवधि को अंकित न करें।): ....
6 एम्पालाई कोड : ....
7 ई–मेल आई. डी : ....
8 मोबाइल नबंर ....
9 अनाधिकृत अवकाश /अनधिकृत अनुपस्थिति – ....
10 वर्तमान में कार्यरत पदनाम : ....
11 नियुक्ति दिनांक से आवेदन दिनांक तक सेवाकाल: ....
12 जन्मतिथि (10 वीं की अंकसूची)/आयु : दिन.......................माह.................वर्ष..........................
13 शैक्षणिक योग्यता–आई.एन.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से जी.एन.एम./पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग का कुल प्राप्तांक एवं प्रतिशत एवं रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति एवं सभी अंक सूची स्वयं सत्यापित संलग्न करें। : ....
14 जाति (आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें जो सेवा पुस्तिका में अंकित हो) : ....
15 मेडिकल प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : (सी.एम.ओ./सिविल सर्जन द्वारा जारी) ....
16 किस नर्सिंग महाविद्यायल से अध्ययन करना चाहते है। ....
17 अध्ययन अवकाश की पात्रता : ....हॉ...................नहीं
18 पूर्व में लिये गये अध्ययन अवकाश का विवरण : ....

संलग्नः– विज्ञप्ति अनुसार समस्त प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

आवेदिका का नाम ....
हस्ताक्षर..............................

दिनांक........................

घोषणा पत्र

1. मैं घोषणा करती हॅं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य हैं जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करती हू कि मेरे विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जॉच/शास्ती अधिरोपित एवं कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

दिनांक..............................
स्थान..............................

शासकीय प्रमाण –पत्र

1. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ....द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि कर्मचारी कुमारी/श्रीमति.. ....पदनाम ....द्वारा दी गई समस्त जानकारी उनकी सेवा पुस्तिका से सत्यापित की गई है।
2. कर्मचारी के गत पॉच वर्षो की वार्षिक गोपनीय चरित्रवाली में किसी प्रकार के प्रतिकूल टीकाऐं अंकित नही है।
3. कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हैं।
4. कर्मचारी के विरूद्व कोई विभागीय जांच, लोकायुक्त प्रकरण आर्थिक अपराध प्रकरण एवं न्यायालयीन प्रकरण लम्बित नही है। (यदि है तो विवरण देवें।)
5. सेवापुस्तिका के अनुसार कर्मचारी के अवकाश खाते में अध्ययन अवकाश शेष है अथवा नहीं यदि नहीं तो उल्लेख करें, कि किस अवकाश खाते से उपभोग किया जावेगा (अर्जित, लघुकृत या अवैतनिक)।
6. अतः पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिग/एम.एस.सी. नर्सिग/पी.एच.डी. में प्रवेश लेने हेतु अंनुशसा करता /करती हूँ।

दिनांक............................

स्थान..............................

हस्ताक्षर नाम एवं पद मुद्रा सहित
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला.......................मध्यप्रदेश।

विशेषनोट :–

आवेदन के साथ निम्नांकित जानकारी/अभिलेख संलग्न करें।

1. जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिग/एम.एस.सी.नर्सिग अंतिम वर्ष उत्तीर्ण की अंक सूची एवं डिप्लोमा/डिग्री की छायाप्रति।
2. नियमित शासकीय सेवा का अनुभव–पत्र।
3. नियुक्ति आदेश की छायाप्रति।
4. पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिग प्रशिक्षण हेतु विभाग द्वारा जारी अनुमति आदेश की छायाप्रति।
5. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा प्रदत्त शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र।
6. नर्सिग प्रशिक्षण उत्तीर्ण नर्सेस का पंजीयन– (जीवित) ।
7. आवेदन में नवीन पासपोर्ट साइज का फोटो नियंत्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित।
8. नियंत्रण अधिकारी का अनुशंसा पत्र जिसके अधीन कार्यरत है।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उम्मीदवार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र अवश्य संलग्न करें।